



55



निगरानी 1098-I-15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर जबलपुर केम्प

हरिराम आ. निजामसिंह काछी, आयु 60 वर्ष
निवासी महगुवां सराई तहसील गोटगांव
जिला-नरसिंहपुर म. प्र.

याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता

494

श्री. अनिल कुमार सिंह
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
15 APR 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1. रज्जो बाई पति लालसिंह काछी, आयु 85 वर्ष
मुकाम डोगरगांव अंडिया तहसील व जिला-नरसिंहपुर म. प्र.
2. ताराचंद आ. लालसिंह काछी, आयु 45 वर्ष,
निवासी- महगुवां सराई तहसील गोटगांव जिला-नरसिंहपुर,

अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
गोटगांव जिला-नरसिंहपुर के राजस्व मामला क्रमांक 01अ/6 वर्ष 2014-15
में पक्षकार " रज्जो बाई बनाम हरिराम काछी अन्य 01 " में पारित
अंतरिम आदेश दिनांक 26-03-2015 से पीड़ित होकर अन्यायों तथ्यों
व आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है।

पुनरीक्षण के तथ्य

यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पौजा
महगुवा सराई प. ह. नं. 25/59 नं. बं. 470 रा. नि. मं. श्रीनगर तहसील
गोटगांव जिला-नरसिंहपुर स्थित ख. नं. 56/5 रकबा 0.344 हे. भूमि
सं. क्रं. 3/59 पारित आदेश दिनांक 30-06-2009 के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता
के नाम से उत्तरवादीगणों की सहमति के अनुसार आपसी पारिवारिक
बटवारा अनुसार हिस्से में आई पुनरीक्षणकर्ता, उत्तरवादी क्रं. 01 के सगे
देवर है तथा उत्तरवादी क्रं. 02 के सगे चाचा है। पुनरीक्षणकर्ता लगभग
15-20 वर्षों से शांतिपूर्वक वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कास्त करता
चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि

Handwritten signature

Handwritten notes

22/4/15

3/5/15

Handwritten mark

R-1098-115

गिठान [लिखें]

27-4-18

आवेदक डा. ए. आरिष
कोनी अपा आवेदक डा. गिठ-के
निवेदन प्रकार पा प्रकार इकी
रुपा पा नौर प्रेस के समाप्त-
कुमा जाता ही प्रकार दारिष
गिठान ही

प्रथम

राजीनामा प 2117
Real Forest

3 ✓